प्र.क. /निगरानी/11–12

प्रस्तुती दिनांक 06/06/2012

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर

R-2185-PBR/12

नरेन्द्र पिता हीरालालजी

निवासी – ग्राम खजराखेड़ी, कनाड़िया रोड़,

तहसील व जिला इन्दौर ..... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

क्रमांक 1785 पोस्ट द्वारा आज 29/6/12 को प्राप्त

एस.ए. रिटेलर्स प्रा.लि.

कार्यालय – 11–पी.यू.–3, स्कीम नं. 54,

तर्फे डायरेक्टर नदीम गौरी

पिता श्री मकसूद हुसैन गौरी

निवासी – 91, नंदनवन कालोनी,

माणिक बाग रोड़, इन्दौर ..... प्रतिप्रार्थी

श्री ... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 6/6/12 को प्रस्तुत 366/6.6.12

सम्माननीय महोदय,

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय इन्दौर के द्वारा उनके न्यायालयीन प्र.क. 79 अ 12/2010–11 आदेश दिनांक 15.06.2011 व सीमांकन दिनांक 07.06.2011 से असंतुष्ट और पीड़ित होकर निगरानीकर्ता का निगरानी आवेदन मय धारा 5 अवधि अधिनियम 1963 के आवेदन मय शपथ पत्र के समयाविध में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2185 PBR/12 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.2015	आवेदक की ओर से श्री एव० एस० चावड़ा अभिभाषक उपस्थित। शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक के अभिभाषक ने प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है।	शीघ्र सुनवाई + [illegible] पुनर्विचार पर सुनवाई + [illegible] इसी [illegible] पर [illegible] 5/8/15 L.S. Dhanawat Adv.
	अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.